Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

आधुनिक शिक्षा में ब्रिट्रिश कालीन प्रतिवेदनों का योगदान एवं प्रभाव

डॉ. देवेन्द्र कुमार मिश्र

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

सारांश

भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1854 का घोषणा—पत्र के द्वारा शिक्षा में एक नवीन युग आरम्भ होता है यह भारत का पहला सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की शिक्षा नीति और योजना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी और यदि ध्यानपूर्वक देखा समझा जाय तो हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल रूप से उसी आधार पर विकसित हुई है, **ए.एन. बसु** ने लिखा है कि— ''इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया।''

भारतीय शिक्षा के विकास के क्रम में वुड डिस्पैच का तात्कालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। तात्कालीन प्रभावों में 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गयी। सभी प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारम्भ कर दिया। सभी स्तर के स्कूलों की स्थापना प्रारम्भ हो गयी। इसके दीर्घ कालीन प्रभावों में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्त्तदायित्व स्वीकार गया। शिक्षा राज्य के नियंत्रण में आ गयी तब से आज तक सरकार शिक्षा की नीति के साथ उसे क्रियन्वित करने की पूरी योजना प्रस्तुत करती आ रही है। पहली बार निश्चित शर्तों को पूरी करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान शुरू किया गया यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जो घोषणा की गई थी वह आज तक लागू है। पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किये गये थे। तब से अब तक समय की माँग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का क्रम

जारी है। अध्यापक शिक्षा के लिए भी जो व्यवस्था इस रिपोर्ट में की गयी थी वह आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में लागू है।[प]

हण्टर आयोग 1882 का योगदान –

हण्टर आयोग की स्थापना प्रमुखतः भारत में प्राथमिक शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार एवं विकास के उपाय खोजने हेतु की गयी थी जिसके योगदान को हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं[पप]–

(1) आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त का भार स्थानीय निकायों को सौपने का सुझाव दिया ये पृथक से प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करे। प्रांतीय सरकारें उन्हें कुल खर्च का 1/2 अथवा 1/3 भाग अनुदान के रूप में देंगी।

(2) आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य निश्चित किये–जन शिक्षा का प्रसार एवं व्यावहारिक जीवन की शिक्षा।

(3) प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि प्रत्येक प्रांत अपनी परिस्थिति के अनुकूल इसे निश्चित करे। जिसमें प्रांतीय भाषा और प्रांतीय व्यवहार मानदण्डों की शिक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन उसमें व्यावहारिक गणित, बही खाता, सरल विज्ञान और आरोग्य विज्ञान के सामान्य ज्ञान को अनिवार्य रखे। साथ ही स्थनीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि, पशुपालन, कताई, बुनाई आदि में से किसी एक की सामान्य शिक्षा भी दी जाए।

(4) प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ (प्रांतीय भाषाएँ) हो। सरकार इन भाषाओं के विकास हेतु प्रयत्न करे।

(5) आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया और उनके प्रशिक्षण हेतु शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

(6) आयोग ने प्राथमिक देशी पाठशालाओं के महत्व को समझते हुए उनके स्तर को उठाने और प्रोत्साहित करने हेतु उपयोगी सुझाव दिये–उन्हें भवन निर्माण और शिक्षकों के वेतन हेतु अनुदान देने की बात की। निर्धन छात्रों को छात्र वृत्तियाँ, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय।

(7) सरकार को सहायता अनुदान सरल बनाने का सुझाव दिया।

प्राथमिक शिक्षा के विकास में इस प्रथम आयोग का काफी प्रभाव रहा सरकार ने इसके सुझावों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार स्थानीय निकायों को सौप दिया यद्यपि इससे तत्कालीन लाभ कम हानि अधिक हुई आयोग की सिफारिश के आधार पर व्यक्तिगत प्रयासों में भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया इससे भारतीयों ने अपनी शिक्षा की व्यवस्था में रूचि ली और उसके प्रचार एवं प्रसार में भागीदार बने। देश में शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न हुई। सहायता अनुदान की शर्ते सरल होने से जगह–जगह संस्थाएँ खुली। कालान्तर में प्राथमिक स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई। (शिक्षा प्रगति तालिका–1882–1902 के अनुसार) आज भी देश में हण्टर आयोग की सिफारिशों का प्रभाव देखा जा सकता है।

लार्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधार (1898–1905) का योगदान –

लार्ड कर्जन ने 'शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901' में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा नीति तैयार की और मार्च 1904 को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया इसमें सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया तत्पश्चात उसमें सुधार हेतु उपाय सुझाए। अपनी शिक्षा नीति में उसने संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोषों का उल्लेख किया।[पपप]

संख्यात्मक दोष–

5 में से 4 ग्रामों में कोई विद्यालय नहीं है। 4 में से 3 लड़कों को शिक्षा प्राप्त नहीं है 40 में से 1 लड़की शिक्षित हो रही है।

गुणात्मक दोष–

(1) उच्च शिक्षा मात्र सरकारी नौकरी की प्राप्ति हेतु की जा रही है।

(2) पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का अभाव है।

(3) अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गयी।

(4) अंग्रेजी को माध्यम बनाने से शिक्षा के प्रसार में बाधा पड़ रही है।

(5) विद्यालयों में रटने पर अधिक बल देने से छात्रों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है।

(6) परीक्षाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।

कर्जन ने शिक्षा नीति 1904 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न योगदान दिया—

(1) इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जबकि उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है।

(2) प्रांतीय सरकारे स्थानीय निकायों को अनुदान परीक्षाफल के स्थान पर उनकी क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार दे, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत हो।

(3) क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार ही प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिसमें अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए।

(4) प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार करते हुए किण्डर गार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाय।

(5) प्राथमिक शिक्षकों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाय और उनके वेतन में वृद्धि की जाय।

कर्जन के सुधारों का यह प्रभाव रहा कि आर्थिक सहायता में वृद्धि के कारण न सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि बल्कि गुणात्मक विकास भी संभव हुआ।

हर्टाग समिति—1929 का योगदान[पअ]**—**

साइमन आयोग द्वारा भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं और भागों का अध्ययन करने हेतु इस समिति का गठन किया था जिसने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न प्रकार से योगदान दिया— समिति

ने अध्ययन के उपरांत बताया कि पिछले 50 वर्षो में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की गति, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से बहुत धीमी रही थी। साक्षरता प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर घटा है उसने बताया कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय (प्राथमिक शिक्षा समाप्ति से पूर्व बच्चों का हट जाना) और अवरोधन (बच्चे का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रूकना) बहुत अधिक था। समिति ने इसके कारणों का पता लगाकर उसे रोकने एवं शिक्षा विकास हेतु निम्न सुझाव दिये–

(1) प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्णतया स्थानीय निकायों पर न छोड़ा जाय।

(2) प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में शीघ्रता न की जाये।

(3) अव्यवस्थित प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया जाय।

(4) प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों को स्थान दिया जाय।

(5) यहाँ योग्य एवं प्रशिक्षित प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाय।

(6) प्राथमिक शिक्षकों की सेवा शर्तो में सुधार किया जाय और उनके वेतन बढ़ाए जायें।

(7) प्रारम्भ से ही अपव्यय और अवरोधन को रोकने का प्रयत्न किया जाय।

समिति का प्राथमिक शिक्षा की समस्या अपव्यय और अवरोधन के कारणों की खोज और उसके समाधान के उपाय एक स्वागत योग्य कदम था जो आज भी अपनी महता रखता है लेकिन समिति के सुझावों पर सरकार ने कहा कि किसी भी स्तर पर गुणात्मक सुधार पहले किया जायेगा तत्पश्चात संख्यात्मक। अतः सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाए साथ ही गुणात्मक सुधार हेतु भी ठोस कदम नहीं उठाए व्यक्तिगत प्रयास को छोड़कर सरकार आँकड़े बताते है कि 1931 से 1937 के मध्य प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।

सर्जेण्ट योजना 1944 का योगदान –

भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिट्रिश शासान काल में प्रस्तुत यह अंतिम योजना थी जिसके संबंध में **नुरूल्ला व नायक** के शब्दों में–''योजना का उद्देश्य कम से कम 40 वर्ष की अवधि में भारत में

शैक्षिक योग्यताओं के उसी स्तर का निर्माण करना है, जिस पर इंग्लैण्ड पहुँच चुका है।'' रिपोर्ट के अंत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना को पूरा करने में लगभग 40 वर्ष का समय लगेगा और इस पर लगभग 313 करोड़ रूपये व्यय होगा।

लार्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी सुधारों का योगदान (1898–1905)–

कर्जन संख्यात्मक वृद्धि के साथ–साथ गुणात्मक वृद्धि भी करना चाहता था। उसके योगदानों को हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं –

शिमला शिक्षा सम्मेलन –1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर कर्जन ने मार्च 1904 में एक नई शिक्षा नीति घोषित की जिसमें माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न योगदान दिया गया[अ]–

(1) गैर सरकारी (अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त) सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता लेना आवश्यक कर दिया गया।

(2) माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता वृद्धि हेतु उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियमों को कठोर बना दिया गया।

(3) इनके पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाय।

(4) प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया गया।

(5) राजकीय माध्यमिक विद्यालय गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका निभायें।

(6) इसमें मातृभाषा द्वारा शिक्षण की सिफारिश की गई।

कर्जन की नीति का यह प्रभाव पड़ा कि जहां एक ओर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने और सहायता अनुदान देने की शर्ते कठोर कर दिये जाने के कारण उनका उतनी तेजी के साथ विस्तार नहीं हो सका जितना होना चाहिए।

सैडलर आयोग 1917—1919 का योगदान —

यह आयोग मुख्यतः उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित किया गया लेकिन आयोग के अनुसार—उच्च शिक्षा की प्रगति और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है अतः उसने माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु निम्न सुझाव दिये[अप] —

(1) आयोग के अनुसार 'प्रत्येक प्रांत में' माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए जो माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने, निरीक्षण एवं नियंत्रण का दायित्व वहन करें।

(2) विश्वविद्यालयों से इण्टरमीडिएट की कक्षाओं को पृथक कर दिया जाय।

(3) इण्टर कॉलेज या तो पृथक से खोले जाए या इण्टर कक्षाओं को हाईस्कूल में जोड़ा जाय।

(4) माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित के अलावा अन्य सभी विषय मातृभाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाय।

आयोग की रिपोर्ट का यह प्रभाव हुआ कि माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढ़ाँचे में परिवर्तन करने से उसके प्रशासन में सुधार हुआ। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने से भारतीय बच्चों की एक बड़ी समस्या का हल हुआ और माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। आज भी अनेक प्रांतों में इण्टर कालेज स्थापित है जो विद्यार्थियों को 12 कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं।

उच्च शिक्षा में योगदान —

भारत में उच्च शिक्षा की शुरूआत वैसे तो वैदिक काल से चली आ रही थी लेकिन आधुनिक उच्च शिक्षा का प्रारम्भ ब्रिट्रिश शासन काल से प्रारम्भ माना जाता है जिसमें पहले कालेजों की स्थापना हुई तत्पश्चात विश्वविद्यालयों की। उच्च शिक्षा में ब्रिट्रिश कालीन शिक्षा प्रतिवेदनों के योगदानों का हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं —

वुड डिस्पैच 1854 का योगदान –

ज्ञातव्य है कि 1857 तक ब्रिट्रिश भारत में 27 कालेज स्थापित हो चुके थे लेकिन अभी तक एक भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। सर्वप्रथम इसी घोषणा पत्र में यह कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर कलकत्ता मद्रास एवं मुम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें।

इस सुझाव के प्रभाव स्वरूप 1857 में कलकत्ता, मुम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी ये लंदन विश्वविद्यालय की तरह सिर्फ परीक्षा लेने का कार्य करते थे। इनका प्रबंध सीनेट के हाथ में था इन्हें सरकारी अनुदान दिया जाता था। ये अपने अधिकार क्षेत्रों में स्थित कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करते थे और उनकी परीक्षा लेते थे।

हण्टर आयोग 1882 का योगदान –

हण्टर आयोग के योगदान को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है–

- आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को उच्च शिक्षा का भार भी भारतीय जनता (व्यक्तिगत प्रयास) पर छोड़ देना चाहिए।
- राजकीय महाविद्यालय केवल उन्ही स्थानों पर खोले जाय जहाँ की जनता इन्हें खोलने में असमर्थ हो।
- गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकार उदारतापूर्वक अनुदान दे। जो उनकी आवश्यकतानुसार हो।
- आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य घोषित किए उच्च ज्ञान की प्राप्ति, नैतिक उत्थान, मानववर्धन का ज्ञान, नागरिकों के कर्त्तव्यों का ज्ञान, विशेषज्ञों का निर्माण।
- आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक बनाया जाय ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। साथ ही नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए।
- उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहेगा।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 3 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

- आयोग ने कहा कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाय।

हण्टर आयोग की सिफारिशों का तत्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा। जहाँ एक ओर सहायता अनुदान शर्तों को सरल बनाने से जगह–जगह संस्थाएँ खोली गयी विशेषकर व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देने के कारण देश में उच्च शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। यद्यपि उनके स्तर में गिरावट आयी। देश में शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न हुई भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था में रुचि उत्पन्न हुई। उच्च शिक्षा में प्रसार होना प्रारम्भ हुआ। 1886 में आर्य समाज ने लाहौर में दयानन्द ऐंग्लों वैदिक कालेज की स्थापना की। 1887 में कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों में विज्ञान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गयी। 1898 में **श्रीमती एनीबेसेंट** ने बनारस में **''सेन्ट्रल हिन्दू कालेज''** की स्थापना की। इस बीच उच्च शिक्षा की अनेक संस्थाओं की स्थापना भी की गयी, परिणामस्वरूप इनकी संख्या में वृद्धि हुई। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में ये वृद्धियाँ उत्साहजनक नहीं थीं।

हर्टाग समिति 1929 का योगदान –

समिति तत्कालीन उच्च शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति को तो संतोषजनक बताया, लेकिन उसके गुणात्मक स्तर में गिरावट के प्रति चिन्ता व्यक्त की। साथ ही बताया कि यह शिक्षा केवल सैद्धांतिक है, इससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। अतः इन दोषों को दूर करने हेतु समिति ने निम्न सुझाव दिये[अपप]–

- देश में कुछ विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षण एवं शोध संस्थानों के रूप में ही विकसित किए जाएँ।
- विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों प्रयोगशालाओं और शोधकार्यशालाओं की उचित व्यवस्था की जाय।
- कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स चलाए जाएँ।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय।

- विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालय खोले जाय जो छात्रों को नौकरी के आवासों की जानकारी दे और नौकरी प्राप्त करनें में सहायता करें।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के नियम कठोर बनाए जाएँ, ताकि योग्य छात्र ही प्रवेश पा सकें।
- सम्बद्ध कालेजों के प्रध्यापकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों पर हो, केवल योग्य प्राध्यापक ही नियुक्त किए जाएँ।

निष्कर्ष–

समिति के सुझाव जितने उस काल में प्रासंगिक थे उतने आज भी है। इसके सुझाव का यह प्रभाव पड़ा कि उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों पर बल देने से शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ने से रोका गया। आज भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु कतिपय विभागों में टेस्ट का प्रावधान किया गया है ताकि उसमें योग्य छात्रों का ही प्रवेश हो सके।

संदर्भ–

i डॉ. ओमवती गुप्ता – भारतीय शिक्षा का विकास, पृ. 24
ii पी.डी. पाठक – भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पृ. 84
iii ओमप्रकाश गर्ग – भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, पृ. 76–77
iv डॉ. स्वाति सक्सेना – भारतीय शिक्षा का विकास, पृ. 39
v ओमप्रकाश गर्ग – भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, पृ. 107
vi डॉ. ओमवती गुप्ता – भारतीय शिक्षा का विकास, पृ. 36
vii पी.डी. पाठक – भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ, पृ. 113